

फैक्स/ई-मेल द्वारा
सं.105/17/विविध/प्रशा/रसं
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
रक्षा सम्पदा महानिदेशालय
रक्षा सम्पदा भवन, उलान बाटर मार्ग
दिल्ली छावनी-110010
दिनांक 07 अप्रैल, 2017

सेवा में,

प्रधान निदेशक,
रक्षा संपदा,
रक्षा मंत्रालय,
मध्य / दक्षिण / पश्चिम / उत्तर/ पूर्व / दक्षिण-पश्चिम कमान,
लखनऊ / पुणे / चंडीगढ़ / जम्मू / कोलकाता / जयपुर।

विषय: कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को मजदूरी की न्यूनतम दरों का भुगतान – राजपत्र अधिसूचनाएं।

“न्यायालय आदेश: अनियत, अस्थायी, तदर्थ, दैनिक-दर और संविदात्मक आधार पर कर्मचारियों की नियुक्ति” विषय पर डीजीडीई के पत्र सं. 105/17/विविध/रसं दिनांक 4 नवम्बर, 2016 के संदर्भ में।

2. “हाथ से मल-सफाई करने वाले कामगारों और शुष्क शौचालय का निर्माण (निषेध) अधिनियम, 1993 के नियोजन के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों को छोड़कर झाड़-पोछ एवं सफाई” और “पहरा व निगरानी” के विभिन्न रोजगारों में लगे कर्मचारियों को देय मजदूरी की न्यूनतम दर में संशोधन करते हुए श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 19 जनवरी, 2017 की अधिसूचनाएं, विशेषतः सं. एस.ओ. 190(ई) एवं एस.ओ. 191(ई), जारी की गई हैं। इन अधिसूचनाओं में छावनी बोर्डों का भी विशेष उल्लेख किया गया है।
3. प्रधान निदेशकों को इन अधिसूचनाओं की तुरंत छानबीन करने और अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यालयों को इनका अनुपालन करने के लिए समुचित निर्देश जारी करने की आवश्यकता है।
4. इसे महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पी. डेनियल

(पी. डेनियल)

अपर महानिदेशक (प्रशासन एवं सतर्कता)
रक्षा सम्पदा

प्रतिलिपि:-

डीजीडीई (समन्वय)
निदेशक, निदेम, दिल्ली छावनी

अनुरोध है कि डीजीडीई और निदेम, दोनों में इन सरकारी अधिसूचनाओं का कार्यान्वयन सुनिश्चित करें। छावनी बोर्ड, दिल्ली को भी इन अधिसूचनाओं की जांच की सलाह दी जाए क्योंकि वे कई मामलों में डीजीडीई के सेवा प्रदाता है।

महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव
वरिष्ठ अपर महानिदेशक, रक्षा सम्पदा के प्रधान निजी सचिव
डीजीडीई (राजभाषा अनुभाग)
डीएमएस/वेबसाइट/एयू एवं आरसी/गार्ड/फ्लोट फाइल